मोहन यादव होंगे मप्र के नए मुख्यमंत्री

तमाम दिग्गज नामों की अटकलों के बीच महज तीन बार के विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने चौंकाया

अर्चिस मोहन और संदीप कुमार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को तमाम अटकलों को विराम दे दिया और करीब 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के दादों को दरकिनार करके तीन बार के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की।

भोपाल में आयोजित विधायक दल की बैठक में चौहान ने यादव के नाम का प्रस्ताव रखा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के रूप में प्रदेश को दो उपमुख्यमंत्री भी मिले हैं जबकि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे।

यादव 2021 में उस समय चर्चा में आए थे जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस को दर्शन की पढ़ाई कर रहे स्नातक के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

देश में पांच महीने बाद लोक सभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा ने एक यादव नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनकर उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय को एक मजबूत संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश और बिहार से लगती हैं और तीनों राज्यों में पार्टी की गहरी रुचि है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश यादव क्रमशः समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं। मध्य प्रदेश में 2003 से भाजपा के सभी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के रहे हैं। पार्टी ने उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव को शीर्ष पद के लिए चुना है।

मध्य प्रदेश में भाजपा ने उत्तर प्रदेश का दो उपमुख्यमंत्रियों को चुनने का फॉर्मूला अपनाया है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने ऐसा ही किया है। मध्य प्रदेश में एक दलित (जगदीश देवड़ा) और एक ब्राह्मण (राजेंद्र शुक्ला) को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

भाजपा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के जरिये जातीय संतुलन कायम करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में भी पार्टी ऐसा ही कोई कदम उठाकर कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग को बेअसर करने की कोशिश कर सकती है।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक भी वहां पहुंचे। चौहान ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा।

मोहन यादव (58 वर्ष) उज्जैन दक्षिण सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं। वह 2013, 2018 और 2023 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर दर्ज उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने बीएससी, एलएलबी, राजनीति विज्ञान में एमए, एमबीए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। वह मार्च 2020 से प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे।

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। वह सन 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। बाद के दिनों में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहे। अपने राजनीतिक करियर के दौरान वह 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के प्रमुख रहे और 2011 से 13 तक वह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल वह मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के प्रमुख भी हैं।

सोमवार दोपहर भाजपा विधायकों की बैठक के पहले चौहान और प्रह्लाद सिंह पटेल के समर्थकों ने अपने-अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पटेल और चौहान के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं और पार्टी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने पहुंचे मोहन यादव व अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता

विष्णु देव साय कल लेंगे शपथ, प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य बुधवार 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

राजस्थान: आज होगा मुख्यमंत्री का खुलासा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार को होगी जिसमें आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। इसके लिए दोपहर डेढ़ बजे से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का पंजीकरण शुरू होगा।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी नव-निर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सह-पर्यवेक्षक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सोमवार को जयपुर पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मंगलवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आ रहे हैं और उनके साथ दोनों सहपर्यवेक्षक भी आएंगे। आगे की जानकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक ही देंगे।

राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर किसी दलित चेहरे के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, 'आप अनुमान मत लगाइए, सब आपके सामने मंगलवार को आएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं। आगे की जानकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक ही आपको देंगे।'

विधायक किरोड़ी लाल मीणा, वासुदेव देवनानी तथा जोगेश्वर गर्ग सहित अनेक विधायक सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे। अनेक विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर मीणा ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद 17 विधायकों ने उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां 'गोलबंदी' नहीं हैं।

मोदी ने युवाओं से मांगे सुझाव

शिवा राजौरा

युवाओं से देश के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'विकसित भारत 2047: युवाओं की आवाज' पहल की शुरुआत की। इसके लिए शुरू किए गए पोर्टल पर युवा भारत को विकसित बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करना होगा कि वह देश को नेतृत्व प्रदान करे तथा राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति 'परिवर्तन की एजेंट' और 'परिवर्तन की लाभार्थी' दोनों है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को इतिहास एक मौका देता है जब वह अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत में अभी अमृत काल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है।

उन्होंने आस-पास के कई देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई कि विकसित राष्ट्र बन गए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। इस अमृत काल के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी अमृत पीढ़ी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखे। प्रधानमंत्री आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक के सफर को अक्सर अमृत काल कहते हैं।

उन्होंने शिक्षा और कौशल से आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया और नागरिकों के बीच राष्ट्रीय हित और नागरिक भावना के लिए सतर्कता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नागरिक अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर देते हैं, तो देश आगे बढ़ता है। उन्होंने जल संरक्षण, बिजली की बचत, खेती में कम रसायनों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उदाहरण दिया। उन्होंने शिक्षाविद् समुदाय से स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा देने, जीवनशैली के मुद्दों से निपटने और युवाओं द्वारा मोबाइल फोन से परे दुनिया की खोज करने के तरीके सुझाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कुलपतियों और शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों से छात्रों के लिए आदर्श बनने का भी आह्वान किया।

देश की तेजी से बढ़ती आबादी में युवाओं की संख्या का उल्लेख करते हुए मोदी ने बताया कि भारत आने वाले 25-30 वर्षों तक कामकाजी उम्र की आबादी के मामले में अग्रणी बनने जा रहा है और दुनिया इस बात को समझती है। अगले 25 साल आज के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं के करियर के लिए निर्णायक होंगे।

उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा एआई: सर्वे

राघव अग्रवाल

आने वाले समय में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कार्य स्थल पर एक जरूरी टूल के तौर पर काम करेगा। पीडब्ल्यूसी के नए सर्वे में यह बात सामने आई है, जिसमें 51 फीसदी भारतीयों ने माना कि एआई कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद करेगा। इस मामले में भारत का औसत वैश्विक औसत से ज्यादा है। क्योंकि दुनियाभर में केवल 31 फीसदी लोग मानते हैं कि एआई कार्य स्थल पर मददगार साबित होगा। 'इंडिया वर्कफोर्स होप्स ऐंड फियर्स सर्वे 2023' नाम से सोमवार को जारी रिपोर्ट में 62 फीसदी लोगों ने कहा कि नौकरी के लिए जरूरी कौशल अगले पांच साल में व्यापक तौर पर बदल जाएगा। वैश्विक स्तर पर सिर्फ 36 फीसदी लोगों का यह मानना है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह कि 69 फीसदी भारतीय यह जानते हैं कि आने वाले समय में कारोबारी जरूरतें किस प्रकार बदल जाएंगी।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर कार्तिक ऋषि ने कहा कि अधिकांश भारतीय कारोबारी भविष्य में अपने कारोबार की कामयाबी के लिए कार्यबल के कौशल में बदलाव के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी प्रकार जैसे-जैसे काम और कार्यस्थल महत्त्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कर्मचारी भी अपना कौशल बढ़ाने की तात्कालिकता के बारे में जागरूक हैं। यह उनके करियर की तरक्की के लिए बड़ा कारक बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि संस्थान भविष्य की प्रतिभा रणनीतियों और कार्यक्रमों को लेकर विशेषकर कौशल पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। दूरंदेशी एवं कौशल प्रथम दृष्टिकोण जो कारोबारी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अपनाना अगले दशक में कारोबार को स्थायित्व देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वे में शामिल 24 फीसदी भारतीयों ने हालांकि यह माना कि एआई उनके काम को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा। वैश्विक स्तर पर 14 फीसदी लोग ही ऐसा मानते हैं। इतना ही नहीं, 21 फीसदी भारतीयों ने स्वीकार किया कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा, जबकि वैश्विक स्तर पर ऐसा मानने वालों की संख्या 13 फीसदी रही। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारतीय कार्यबल भविष्य को लेकर बेचैन है। यहां 42 फीसदी कर्मचारियों ने इस ओर संकेत दिया कि बेहतर पैकेज और प्रोन्नति के लिए वे अगले साल नौकरी बदलना चाहते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर ऐसा सोचने वाले 26 प्रतिशत कर्मचारी रहे।

इसके अतिरिक्त सर्वे में भाग लेने वाले 70 फीसदी भारतीय अपनी मौजूदा कंपनी में प्रोन्नति के लिए प्रबंधन से आग्रह करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके मुकाबले वैश्विक स्तर पर 35 फीसदी कर्मचारी चाहते हैं कि इसी कंपनी में ही उनकी प्रोन्नति हो जाए। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि अधिकांश कंपनियों के केंद्र में युवा पीढ़ी है, जबकि मैनेजरों और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

पीडब्लयूसी की पार्टनर अनुमेहा सिंह ने कहा कि कार्यबल इस समय न केवल प्रतिस्पर्धी वातावरण से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह नौकरी में संतुष्टि और तरक्की के अवसर भी चाहता है, ताकि अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके।

'जीपीएआई घोषणा पत्र पर सहमति बने'

आशुतोष मिश्रा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के लिए भारत सदस्य देशों से बातचीत कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही घोषणा पत्र पर आम सहमति बन जाएगी।

उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर दुनिया की सोच एक जैसी हो रही है। लोग एआई से उभरने वाले खतरों, इसके लाभ और संभावनाओं से भलीभांति वाकिफ हैं। पूरा विश्व यह भी चाहता है कि इस पर एक अंकुश अवश्य रहे। इस पर भी कमोबेश सब एकमत हैं कि एआई को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसलिए हमारा उद्देश्य ऐसा साझा बयान तैयार करना है, जिस पर सब सहमत हों।

पत्रकारों से बातचीत में सोमवार को केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें 28 सदस्य देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ और कुछ अतिथि देशों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन के बारे में उन्होंने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में बड़े स्तर पर स्टार्टअप, अकेडमिया और एआई से जुड़े हितधारक शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान तीन दिनों में एआई को कैसे अधिक जिम्मेदार बनाया जाए, इसका इस्तेमाल किस प्रकार हो और इससे जुड़े नियम कायदों को कैसे संतुलित तरीके से संभाला जाए, जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले साल तोक्यो में आयाजित सम्मेलन में दो-तिहाई बहुमत से भारत को जीपीएआई की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। इस सम्मेलन से पहले इसी तरह का यूकेएआई सम्मेलन बैलेचले पार्क में आयोजित हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सदस्य देशों से कर रहा बात

कुछ दिन पहले ही यूरोपीय संघ ने एआई के इस्तेमाल के लिए नियमों की घोषणा की है। ऐसे में जीपीएआई सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं का महत्व बढ़ जाता है। एआई को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संघ की तीन शाखाओं- संसद, परिषद और आयोग के बीच 36 घंटे चली बहस के बाद आम सहमति बनी थी। इन नियमों पर यूरोपीय संघ की संसद अगले वर्ष की शुरुआत में मतदान करेगी और ये नियम 2025 से लागू हो जाएंगे। इस प्रकार एआई को विनियमित करने वाला यूरोपीय संघ पहला क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन काफी समय से एआई को लेकर नियम बनाने की कवायद में जुटे हैं।

फैसले पर प्रतिक्रिया

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने पर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। नैशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 'एक्स' पर निराशा व्यक्त की लेकिन संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने एक शेर के जरिये अपनी बात कही, 'दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।'

भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 'हम फैसले का सही अर्थों में आदर व सम्मान करते हैं।' पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को बरकरार रखने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय 'मौत की सजा से कहीं कम नहीं है'। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने फैसले को 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 'भारी मन के साथ हमें इसे स्वीकार करना होगा।' **भाषा**

370 निरस्त करने के फैसले पर अदालत की मुहर

पृष्ठ 1 का शेष

पीठ ने कहा, 'अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसका उद्देश्य अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना था, जब तक कि राज्य की संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता और यह विलय पत्र में निर्धारित मामलों के अलावा अन्य मामलों पर केंद्र की विधायी क्षमता पर निर्णय ले सकता है और संविधान को अंगीकार कर सकता है। दूसरा, यह एक अस्थायी उद्देश्य के तहत राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण बनी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक अंतरिम व्यवस्था थी।'

अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। याचियों का कहना था कि अनुच्छेद 370 को हटाना संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है और यह संविधान के साथ किया जाने वाला धोखा है।

संसद ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का एक कानून, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया था।

पीठ ने केंद्र सरकार के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विचारों से सहमति जताते हुए इस विभाजन को बरकरार रखा। पीठ ने कहा, 'सोलिसिटर जनरल की इस दलील को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, हम यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पुनर्गठित करने की अनुमति अनुच्छेद 3 (संसद के पास नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में बदलाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है) के तहत है या नहीं।' फैसला सुनाने वाले पीठ ने तीन अलग-अलग निर्णय लिखे। पहला निर्णय, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपनी ओर से न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति कांत के साथ लिखा, वहीं न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग-अलग सहमति वाले फैसले लिखे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार था।

श्रीनगर स्थित लाल चौक पर सोमवार को घूमते स्थानीय लोग

अदालत ने कहा, 'अनुच्छेद 370(3) को संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, न कि संवैधानिक विघटन के लिए। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान सभा के भंग होने के बाद 370(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।' अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा 5 अगस्त, 2019 को जारी किए गए संवैधानिक आदेश 272 को बरकरार रखा, जिसने भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया।

अदालत ने जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर भी फैसला देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, 'राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की तरफ से केंद्र द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे राज्य का प्रशासन ठप पड़ जाएगा।'

अदालती सुनवाई के आखिर में न्यायमूर्ति कौल ने 1980 के दशक से राज्य में हुए मानवाधिकार हनन की समस्या के समाधान के लिए एक आयोग के गठन की सिफारिश की। उन्होंने कहा, 'इससे पहले कि हम भूल जाएं, इस आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यह समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले से ही युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई है और यह पहले उनके लिए है कि हम इस दिशा में सुधार करें।'

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकार हनन से जुड़ी कई रिपोर्टें आई हैं। उन्होंने कहा, 'फिर भी एक बड़ी कमी आमतौर पर एक स्वीकृत कथ्य कि है कि वास्तव में क्या हुआ है या, दूसरे शब्दों में कहें तो यह सामूहिक रूप से सच कहना होगा।'

उन्होंने कहा कि सच बताने से उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक मौका मिलेगा जिन्होंने राज्य में बहुत कुछ सहा है और साथ ही इस गलती के लिए जिम्मेदार लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकें। इससे सुलह की दिशा बनेगी।' हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी दी कि आयोग को आपराधिक अदालतों में नहीं बदलना चाहिए, बल्कि लोगों को यह साझा करने का मंच बनाना चाहिए कि वे किस तरह के गंभीर अमानवीय दौर से गुजरे हैं।

उन्होंने कहा, 'यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह आयोग व्यवस्थित सुधारों के लक्ष्य की दिशा में बढ़ने वाले कई रास्तों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि यह लक्ष्य तब हासिल होगा जब कश्मीर अपने दिल को खोलकर अपनी भावनाएं जाहिर करेगा और अतीत की बातें स्वीकार करते हुए उन लोगों को सम्मान के साथ वापस आने की सुविधा देगा जो यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें भविष्य देखना है।' अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की थी।

महा मेट्रो
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र शासन का संयुक्त उपक्रम)
'मेट्रो भवन' व्हीआयपी रोड, दीक्षाभुमी के पास, रामदासपेठ, नागपुर-440010. ईमेल : md.nmrcl.tenders@gmail.com
निविदा सुचना क्र. : N1-CRF-09/2023 दिनांक : 04.12.2023
कार्य का नाम : अमरावती से नरखेड विभाग के मार्ग यहां 3 नं आरओबी/आरयुबी का निर्माण कार्य (A) चांदुर बाझार यहां किमी 721.324 राज्यमहामार्ग-240 (LC क्र. 27) जि. अमरावती विभाग (B) वरला यहां राज्यमहामार्ग - 240 (LC क्र. 28) जि. अमरावती विभाग (C) जलालखेडा मार्ग यहां किमी 791.75 राज्यमहामार्ग- 248 (LC क्र. 57) जि. नागपुर।
दस्तावेज का मुल्य : रु.88,500/- (जीएसटी कर सहीत)।
सदर निविदा सुचना के लिए इच्छुक बिडर्स **www.mahametro.org** या सीपीपी वेबसाईट : **https://eprocure.gov.in** पर भेट दे। निविदा पत्र **https://mahatenders.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है।
कार्यकारी निदेशक (क्रय), महा-मेट्रो
Nagpur Metro : City's Transport Solution

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
Hamesha Aapke Liye
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई
निविदा सूचना
बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	आईबीएम इंटरप्राइज लाइसेंस का दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक नवीकरण के लिए सेवा प्रदाता का चयन	02.01.2024
2	यूनिवर्सल रिकंसिलेशन प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति, क्रियान्वयन और रखरखाव	02.01.2024

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** पर निविदा खंड में उपलब्ध है।
''परिशिष्ट'', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** पर निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।
स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.12.2023
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)